

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 222 / 3450 / 2010 / 20-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17.2.2011

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र.भोपाल
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.भोपाल
3. प्रबंधक, म.प्र.पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल
4. सचिव, माध्य.शिक्षा मंडल, म.प्र.भोपाल
5. संचालक, म.प्र.राज्य ओपन स्कूल भोपाल
6. सचिव, मदरसा बोर्ड, भोपाल
7. उप महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एन.सी.सी. भोपाल

विषय:- विशेष भरती अभियान के तहत चयनित उम्मीदवारों के चरित्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन बाबत।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 7-19/2009/आ.प्र./एक, दिनांक 15.12.10, टीप क्रमांक 67, दिनांक निरक एव 92 दिनांक 3.2.11 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की जानकारी एवं आरक्षण अधिनियम के तहत वांछित जानकारी तत्काल इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि समग्रसीमा में सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराई जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(के.आर. उपाध्याय)
अवर सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

2-मी/4
21-2
16.3.2011
hph

की
9/3/11

2
1-3
रतन
3/3/11

4/344
7/3/11

21

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 7-19/2009/आ.प्र./एक,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010.

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

3450
30/12/10

विषय:-विशेष भरती अभियान के तहत चयनित उम्मीदवारों के चरित्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन बाबत।

संदर्भ:-इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7-8/2003/आ0प्र0/एक, दिनांक 13-1-2003.

—0—

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों की पूर्ति विशेष भरती अभियान के तहत निश्चित समय-सीमा में की जाना थी, अतः नियुक्ति आदेश जारी करने में विलम्ब न हो इस दृष्टि से उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप द्वारा विशेष भरती अभियान के तहत चयनित उम्मीदवारों की चरित्र एवं जाति प्रमाण पत्र की सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त नियुक्ति आदेश जारी करने संबंधी निर्देश जारी किये गये थे। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के एकादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 में की गई अनुशांसा पर विचारोपरांत उक्त संदर्भित आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

2/ सीधी भरती से भरे जाने वाले बैकलॉग पदों पर विशेष भरती अभियान के तहत चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश, सामान्य भरती में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार उनके चरित्र एवं जाति प्रमाणों की जांच उपरांत ही जारी किये जायें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अकीला हशमत)

उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

..2..

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
4. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. मंत्री/राज्य मंत्री गण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर।
11. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
12. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।


की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(आर.के. गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्य प्रदेश

पृष्ठ. क्रमांक/समन्वय/डी/45/2009-2010/56 भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2011
प्रतिलिपि:-

1. सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ जबलपुर, इन्दौर, भोपाल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी विधि प्रकोष्ठ ग्वालियर।
7. प्राचार्य, शासकीय तात्याटोपे शिक्षा महाविद्यालय, शिवपुरी।
8. योग विभागाध्यक्ष, योग प्रशिक्षण केन्द्र, 1464 टी.टी.नगर, भोपाल।
9. अधीक्षक वैद्यशाला उज्जैन मध्यप्रदेश।
10. मुख्य पुस्तकालय इन्दौर, भोपाल रीवा एवं ग्वालियर मध्यप्रदेश।
11. प्रादेशिक सचिव भारत स्कूट एवं गाइड एसोसिएशन भोपाल।
12. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश।
13. समस्त अधिकारी अधीक्षक, सहायक अधीक्षक लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश